>

Title: Request to government to implement the Central Road Fund Act, 2014 and pass the NE phase 2 Road as soon as possible.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, उनके और आपके माध्यम से मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा । वर्ष 2000 में सेन्ट्रल रोड फंड (सीआरएफ) बना और वर्ष 2014 में सीआरएफ एक्ट पास हुआ । इस एक्ट की वजह से हम सभी मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल रोड फंड का अपने-अपने सेक्टरों में यूटिलाइजेशन किया करते थे । वर्ष 2018 में सीआरएफ एक्ट को सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्ट बनाने के बाद neither the hon. Finance Minister nor the hon. Minister of Road Transport and Highways could take any decision. इसलिए आज पूरे देश भर में 56000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पेंडिग हैं । वर्ष 2018 से सीआरएफ के जितने अधूरे काम हुए हैं, उसके लिए वह फंड अधूरा है, पेंडिंग है । इसलिए मैं आपके माध्यम से गर्वमेंट ऑफ इंडिया से मांग करता हूं कि वर्ष 2014 सीआरएफ एक्ट को ही लागू किया जाए । I would like to request for a quick decision in this matter, either by the hon. Finance Minister or by the hon. Minister of Road Transport and Highways.

दूसरा, एसएआरडीपी एनई-1, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक स्पेशल फंड था, जिसकी सारी स्कीमें कम्पलीट हो गई हैं । अभी एसएआरडीपी एनई फेज-2 के लिए कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है । एक साल से यह काम ठप्प पड़ा हुआ है । रोड कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको आगे ले जाना है, अभी तक इसके बारे में डिसीजन नहीं हुआ है । इसलिए मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि सीआरएफ, 2014 और एसएआरडीपी, एनई फेज 2 को जल्द से जल्द पास किया जाए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल कस्वां, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया और श्री सुधीर गुप्ता को श्री तापिर गाव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।